राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 4481/2004

मिठूलाल

----अपीलार्थी

बनाम

राज्य और अन्य

----प्रतिवादी

अपीलार्थी(गण) के लिए : श्री अर्जुन सिंह राठौड़

प्रतिवादी(गण) के लिए :

माननीय श्री न्यायमूर्ति अरुण मोंगा

आदेश

22/05/2024

1. याचिकाकर्ता की शिकायत दिनांक 25.04.1995 (अनुलग्नक 16), 22.03.1996 (अनुलग्नक 12) के आदेशों से उत्पन्न हुई है, जिसके तहत याचिकाकर्ता के खिलाफ वसूली का आदेश दिया गया था और दिनांक 01.10.2002 के आदेश (अनुलग्नक 20) से उत्पन्न हुई है, जिसके तहत प्रतिवादियों ने याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन को खारिज कर दिया था।

2. संक्षेप में, याचिका में दिए गए प्रासंगिक तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता 01.04.1958 को ग्राम पंचायत नवानिया, पंचायत समिति, भींडर, जिला उदयपुर में सचिव के पद पर कार्यरत था। याचिकाकर्ता 30.06.1995 को सेवानिवृत्त हुआ। इसके बाद, 25.04.1995 के आदेश (अनुलग्नक 16) के तहत याचिकाकर्ता द्वारा कथित रूप से अवैध रूप से खर्च की गई कुछ राशि के लिए याचिकाकर्ता के खिलाफ 7794/- रुपये की राशि की वसूली शुरू की गई।

2.1 दिनांक 22.03.1996 के एक अन्य आदेश (अनुलग्नक 12) के तहत याचिकाकर्ता के विरुद्ध एक और वसूली शुरू की गई, जिसमें कहा गया कि गलत

वेतन निर्धारण के कारण उसे 4120/- रुपए की अतिरिक्त राशि का भुगतान किया गया। याचिकाकर्ता ने प्रतिवादियों को उक्त अवैध वसूली के संबंध में दिनांक 17.12.2001 (अनुलग्नक 18) और 26.08.2002 (अनुलग्नक 19) को अभ्यावेदन प्रस्तुत किए। हालांकि, दिनांक 01.10.2002 के आदेश (अनुलग्नक 20) के तहत याचिकाकर्ता के दोनों अभ्यावेदन खारिज कर दिए गए। इसलिए यह याचिका।

3. उत्तर में बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता ने स्वीकृत राशि से 7,794/- रुपए अधिक खर्च किए हैं। इस प्रकार, प्रतिवादियों को उक्त राशि वसूलने का अधिकार है। इसलिए याचिका खारिज किए जाने योग्य है।

4. उपर्युक्त पृष्ठभूमि में, मैंने याचिकाकर्ता के विद्वान वकील को सुना है और केस फाइल का अवलोकन किया है।

5. यहाँ एक छोटा सा विवाद उभर कर आता है; क्या याचिकाकर्ता का मामला पंजाब राज्य एवं अन्य बनाम रफीक मसीह (व्हाइट वॉशर) एवं अन्य: (2015) 4 एससीसी 334 में निर्धारित अनुपात के अंतर्गत आता है?

6. उत्तर सकारात्मक है। आइए देखें कि कैसे।

7. उक्त निर्णय के प्रासंगिक पैरा-18 में उन परिस्थितियों का उल्लेख किया गया है जिनके तहत वसूली की जा सकती है, नीचे पुन: प्रस्तुत किया गया है:-

> "18. उन सभी कठिनाई की स्थितियों का अनुमान लगाना संभव नहीं है जो वसूली के मुद्दे पर कर्मचारियों को नियंत्रित करेंगी, जहां नियोक्ता द्वारा गलती से उनके हक से अधिक भुगतान किया गया है। जैसा भी हो, ऊपर उल्लिखित निर्णयों के आधार पर, हम एक तैयार संदर्भ के रूप में निम्नलिखित कुछ स्थितियों का सारांश दे सकते हैं, जिसमें नियोक्ता द्वारा वसूली कानून में अस्वीकार्य होगी:
>
> (i) वर्ग III और वर्ग IV सेवा (या समूह C और समूह D सेवा) से संबंधित कर्मचारियों से वसूली।
>
> (ii) सेवानिवृत्त कर्मचारियों, या उन कर्मचारियों से वसूली जो वसूली के आदेश के एक वर्ष के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं।

(iii) कर्मचारियों से वसूली, जब वसूली का आदेश जारी होने से पहले पांच वर्ष से अधिक की अवधि के लिए अतिरिक्त भुगतान किया गया हो।

(iv) उन मामलों में वसूली, जहां किसी कर्मचारी को गलत तरीके से उच्च पद के कर्तव्यों का निर्वहन करने की आवश्यकता होती है, और उसे तदनुसार भुगतान किया जाता है, भले ही उसे सही मायने में निम्न पद के विरुद्ध काम करने की आवश्यकता होती।

(v) किसी अन्य मामले में, जहां अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि यदि कर्मचारी से वसूली की जाती है, तो वह इस हद तक अन्यायपूर्ण या कठोर या मनमानी होगी, जो नियोक्ता के वसूली के अधिकार के न्यायसंगत संतुलन से कहीं अधिक होगी।

(महत्व दिया गया)

8. ऊपर वर्णित तथ्यात्मक विवरण के अवलोकन से इस बात में कोई संदेह नहीं रह जाता कि याचिकाकर्ता का मामला रफीक मसीह में दिए गए निर्णय के अंतर्गत आता है।

9. अन्यथा भी, उत्तर में या अन्यथा इस बात का खंडन नहीं किया गया है कि याचिकाकर्ता ने कोई तथ्य गलत तरीके से प्रस्तुत किया/छिपाया या अन्यथा याचिकाकर्ता को गलत तरीके से दिए गए लाभ को प्राप्त करने में सहायक था। ऐसा होने के कारण, रफीक मसीह (उपरोक्त) में निर्धारित अनुपात के संदर्भ में यहां दिए गए आदेश संधारणीय नहीं हैं।

10. तदनुसार, दिनांक 22.03.1996 (अनुलग्नक 12) और 25.04.1995 (अनुलग्नक 16) के आक्षेपित आदेशों को आगामी परिणामों सहित रद्द किया जाता है। याचिकाकर्ता से की गई वसूली, यदि कोई हो, लागू सेवा नियमों के अनुसार ब्याज सहित याचिकाकर्ता को वापस कर दी जाएगी।

11. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का निपटारा किया जाता है।

(अरुण मोंगा),जे

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है ।

अस्वीकरण - यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा मे अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा एवं निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।